दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा. कार्यों के लिए पूर्व-अर्हता दस्तावेज
पूर्व-अर्हता हेतु आमंत्रण

1. कार्यकारी अभियंता ईई, आरपीडी 7 दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से पूर्व-अर्हता आवेदन पुनर्आमंत्रित करते हैं।

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	पूरा करने की अवधि
1.	ब्लाक जे सेक्टर-16, रोहिणी, फेज-।। में 340 एलआईजी घरों (भूतल+4 मंजिल) का निर्माण करना। आई/सी आन्तरिक विकास कार्य आदि। उपशीर्ष: सुपर स्ट्रक्चर वर्क्स में 260 एलआईजी घरों (भूतल+4 मंजिल) का निर्माण करना। आई/सी ब्लाक जे, सेक्टर-16, रोहिणी फेज-।। में आंतरिक विकास।	रु. 6.00 करोड़	12 माह

2. जो ठेकेदार निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। संयुक्त उद्यम स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
   (क) तीन कार्यों को, जिनमें से प्रत्येक की लागत 2.40 करोड़ रु. हो, संतोषजनक तरीके से पूरा किया हुआ हो (उनमें से कम से कम एक कार्य केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/केन्द्रीय लोक उपक्रम का हो)।

   या

   दो ऐसे कार्य जिनकी लागत 3.00 करोड़ रु. हो।

   या

   गत सात वर्षों, जो माह के अंतिम दिन समाप्त हुआ हो, के दौरान निम्नलिखित स्वरूप का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत 4.80 करोड़ रु. हो।

   भवन-निर्माण कार्य आई/सी भूमि का आन्तरिक विकास, आन्तरिक वैद्युतीकरण, अंडरग्राउन्ड टैंक एवं पम्प हाउस आदि।

   (ख) गत तीन वर्षों, जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुआ हो, के दौरान निर्माण-कार्यों में 1.80 करोड़ रु. का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर रहा हो।

   (ग) गत पांच वर्षों, जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुआ हो, के दौरान दो से अधिक वर्षों में कोई हानि नहीं हुई हो।

   (घ) 2.40 करोड़ रु. की शोधन-क्षमता होनी चाहिए।

3. इच्छुक ठेकेदार लिखित अनुरोध करके कार्यकारी अभियंता ईई आरपीडी-7, दिविप्रा कार्यालय परिसर, दीपाली चौक, सेक्टर-।।।, रोहिणी, दिल्ली-85 से 250/- रु. की नकद अदायगी करके 29.11.2004 के अप. 3.30 बजे तक पूर्व-अर्हता दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

4. पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन, जिसके साथ विहित अनुबंध संलग्न हों, मुहरबंद लिफाफे में जमा किये जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम और खुलने की नियत तिथि विधिवत् रूप से दर्ज होनी चाहिए। आवेदन 2.12.2004 के अप. 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे और कार्यकारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके कार्यालय में उसी दिन 3.30 बजे खोले जायेंगे।

5. अगर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी बाद में गलत पाई जाती है तो वे दिविप्रा में निविदा देने/कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किये जाने के हकदार होंगे। विभाग आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरे की स्वतंत्र जांच-पड़ताल करने का अधिकर सुरक्षित रखता है।

6. विभाग किसी भी प्रत्याशित आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने और पूर्व-अर्हता प्राप्त ठेकेदारों, अगर बुनियादी पीओ मानदंड पूरी करने वाले बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हो जाते हैं, की सूची को इसके द्वारा उपयुक्त समझी गई संख्या तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. किसी एजेंसी द्वारा पूरे किये गये संबंधित कार्यों की लागत उस वर्ष के हरेक उत्तरवर्ती वर्ष में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ा दी जायेगी जिस वित्तीय वर्ष में वह विशेष कार्य पूरा किया गया था ताकि इसे वर्तमान लागत के समान लाया जा सके। एजेंसियों के टर्नओवर के संदर्भ में भी इसी तरीके से बढ़ोतरी की जायेगी।

"दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'ddadelhi.com' देखिए या डायल करें 9604 400300"